सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **344/2017** दायर दिनाँक **07.12.2017**

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती गौरादेवी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राजस्थान		1. वाहिद खां पुत्र आलम खां 2. नियाज खां पुत्र कासम खां 3. हिदायत खां पुत्र कासम खां 4. भंवरी बानों पुत्री कासम खां 5. रजिया बानों पुत्री कासम खां 6. आनोप बानों पत्नी कासम खां 7. सोहिल खां पुत्र मुस्ताक खां नाबालिक जरिये वलिया समीर बानों पत्नी मुश्ताक खां 8. इकबाल पुत्र मोहन खां 9. कायूम पुत्र मोहन खां 10. मेहबुब खां पुत्र मोहन खां 11. आसमा बानों पुत्री मोहन खां 12. मुमताज बानों पत्नी मोहन खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण खारिया तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राजस्थान 13. श्रीमान जिला कलक्टर, नागौर 14. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री अजीतसिंह वकील, वादी।
2. श्री रामेश्वरलाल, वकील, प्रतिवादीगण 01 व 08

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **15.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम खारिया में साबिक खसरा संख्या 49 जिसके संवत 2017 के आस पास हुऐ पेमाईश में नये खसरा नं0109 तथा हाल ही में हुऐ भूप्रबन्ध के पूर्व खसरा नं0 321/109 रकबा 02 बीघा प्रतिवादी सं0 01 व प्रतिवादी संख्या 02 से 12 के पूर्वज कासम खां व मोहन खां की विधिवत कब्जा काश्त व खातेदारी कानूनन हुई, रही व थी जिसमें से खातेदार कासम खां व मोहन खां फौत होने के पश्चात इस्लाम शरियत के अनुसारउनके

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 344/2017
दायर दिनाँक 07.12.2017, निर्णय दिनाँक 15.01.2019
गौरा देवी बनाम वाहिद अली, वगैरा।

वारिसान के हक में नामान्तरकरण प्रस्तावित होकर स्वीकार किया जाकर उनके नामों का इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज हो गया तथा संवत 2071 से 2074 की जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 31.12.2015 का उल्लेख करते हुऐ जमाबन्दी में नाम दर्ज हो गया था। तत्पश्चात उपरोक्त खातेदारान व उनके वारिसान खातेदारा ने खसरा सं0 321/109 के सम्पूर्ण रकबे के मौके पर कब्जा अनुसार चारों सीमाओं सहित हक खातेदारी की कीमत विधिवत निर्धारित कर प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि 155000/– अक्षरे एक लाख पच्चपन हजार रू0 प्राप्त कर बाकायदा विक्रय विलेख विधिवत अधिकार पूर्वक वादी के हक में दिनांक 29.01.2016 को निष्पादित करवा कर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 05.04.2016 ग्राम खारिया प्रस्तावित होकर स्वीकार कर दिया। इसी दौरान राज्य सरकार ने भू प्रबन्ध की कार्यवाही करते हुऐ खसरा सं0 321/109 रकबा 02 बीघा के नये खसरा सं0 156 रकबा 0.27 हैक्टयर व खसरा सं0 157 रकबा 0.06 हैक्टयर कायम कर मिसल बन्दोबस्त में वादी के नाम नहीं करते हुए गलती से मृत खातेदार कासम खां, मोहन खां व जीवित विक्रेता खातेदार वाहित खां पिसरान आलम खां के नाम गलत इन्द्राज कर दी व खसरा सं0 157 का रकबा गलत रूप से गै0मु0 सडक दर्ज कर दिया जबकि कानूनन खातेदारी वादी की हुई रही व है। वादी की और से खसरा सं0 155 व 156 में दर्ज दो बीघा सहित सम्पूर्ण रकबा 02.10 बीघा की खातेदारी घोषित करवाने हेतु व वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा दखल अन्दाजी करने से रोके जाने हेतु अतिरिक्त तथ्यों के साथ वाद पेश किया जाना लाजमी होने से वाद पेश है।

यह है कि पुराने खसरा सं0 49 एवं तत्पश्चात पुराने खसरा सं0 109 वाके खारिया का सम्पूर्ण रकबा कभी भी सार्वजनिक उपयोग उपभोग का नहीं रहा था,उक्त रकबा में कभी कोई रास्ता स्थाई रूप से खसरा सं0 49 तथा 109 के बीचोबीच तथा आगे उत्तरी सरहद तक कभी भी नहीं रहा फिर भी प्रथम भूप्रबन्ध के पश्चात द्वितीय भूप्रबन्ध संवत 2017 के आस पास हुआं तब खसरा सं0 109 में मौका पर आबादी विस्तार दक्षिण में जाने का रास्ता जिस स्थान पर राजस्व नक्शा में दर्ज किया है वहां कभी भी नहीं रहा क्योंकि एक रास्ता पश्चिमी तरफ पहले से ही था जिसका वर्तमान में राजस्व नक्शा में खसरा सं0 134/4 जिसका वर्तमान में खसरा सं0 150, 151, 144 व 143 के पूर्वी तरफ तथा खसरा सं0 157, 156 व 154 के पश्चिमी तरफ में रास्ता दर्ज किया है जो पहले से चले है रास्ते पर गै0मु0 कुंआ के पश्चिमी तरफ वास्तविक रास्ते के स्थान पर ही रास्ता दर्ज किया है लेकिन हाल बन्दोबस्त व उसके पूर्व के बन्दोबस्त खसरा सं0 95 व हाल बन्दोबस्त में उसी स्थान पर रास्ता गलत दर्ज किया है। खसरा सं0 174, 177 के पश्चिम में तथा खसरा सं0 157, 156, 155, 153, 154 के पूर्वी तरफ नक्शा में बताया रास्ता मौके पर सैकडों सालों से कभी भी रास्ता नहीं होते हुए भी साबिक बन्दोबस्त व हाल बन्दोबस्त में मौके की स्थिति के विपरीत अधिकारियों की मनमर्जी से उक्त रास्ते का राजस्व नक्शा से हटाया जाना व खसरा सं0 105/101 व हाल खसरा सं0 162 की पश्चिमी सीमा पर होता हुंआ उत्तर में खसरा सं0 158 की दक्षिणी सीमा परहोता हुआ रास्ता मौके पर रास्ते के अवशेषों के आधार पर दर्ज करना कानूनन आवश्यक होते हुए भी तथा गलत दर्ज रास्ता की 10 बिस्वा भूमि स्व0 कासम खां, मोहन खां व प्रतिवादी सं0 01 वाहिद खां के कब्जा में विधिवत होने से 2.10 बीघा के स्थान पर केवल दो बीघा ही दर्ज हआ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 344 / 2017
दायर दिनाँक 07.12.2017, निर्णय दिनाँक 15.01.2019
गौरा देवी बनाम वाहिद अली, वगैरा।

लेकिन विधिवत 2.10 बीघा की खातेदारी हुई रही व है। इसलिए अपने हको की घोषणा के साथ साथ राजस्व नक्शा में त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु भी इस्तदुआ पाने का अधिकार है। वादी द्वारा संयुक्त वाद पेश करते हुए खसरा सं0 157 व 158 के पूर्वी तरफ व हाल खसरा सं0 177 के पश्चिमी तरफ जो गलत रास्ता दर्ज है का रकबा वादी की खातेदारी का घोषित करने हेतु व आवश्यक नक्शा में संशोधन करने हेतु आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद पेश है।

प्रार्थना वादी है कि हाल खसरा सं0 156 व 157 के सम्पूर्ण रकबे में पूर्वी तरफ की 10 बिस्वा भूमि को शामिल करते हुऐ उक्त दोनों खसरान का रकबा मौके के अनुसार 02.10 बीघा दर्ज कर वादी की खातेदारी घोषित की जावें व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शा में इन्द्राज दुरूस्त किये जावें।

वर्तमान बन्दोबस्त के नक्शा में दर्ज खसरा सं0 162 की पश्चिमी तरफ मौके पर चल रहे रास्ता को राजस्व रेकर्ड में वाद में दर्ज अनुसार रास्त दर्ज किया जाकर खसरा सं0 177 के पश्चिम में व खसरा सं0 155 व 156 के पूर्व में दर्ज रास्ता के इन्द्राजात हटाये जाने व आवश्यक संशोधन व दुरूस्ती करने हेतु आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

वाद की इस्तदुआ के उप अनुच्छेद संख्या अ के कुल रकबा 2.10 बीघा के बराबर हैक्टयर भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से तमाम प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के लिए रोका जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 13 व 14 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 की तरफ से इकबालिया जवाब पेश हुआ। साक्ष्य वादी में सुरेन्द्र व सतार के शपथ पत्र पेश हुए। दोनों गवाहों के बयानों अनुसार ग्राम खारिया के खसरा संख्या 156 व 157 के सम्पूर्ण रकबे में पूर्वी तरफ की 10 बिस्वा भूमि को शामिल करते हुए दोनों खसरान का रकबा मौके के अनुसार 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादिया का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है तथा खसरा नं0 162 की पश्चिम तरफ मौके पर रास्ता चला आ रहा है।

वाद के समर्थन में वादी ने, जमाबन्दी की नकल सं0 2070–2073, ट्रेस नक्शा, भू0प्रबन्ध की नकल सं0 2073 से 2092, मिलान क्षेत्रफल सं0 2073, मिलान क्षेत्रफल सं0 2065 से 2085, ट्रेस नक्शा सं0 2009, ट्रेस नक्शा सं0 1960 से 61 आदि पेश की।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 344 / 2017
दायर दिनॉक 07.12.2017, निर्णय दिनॉक 15.01.2019
गौरा देवी बनाम वाहिद अली, वगैरा।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद ग्राम खारिया के खसरा संख्या 156 व 157 के सम्पूर्ण रकबे में पूर्वी तरफ की 10 बिस्वा भूमि को शामिल करते हुऐ उक्त दोनों खसरान का रकबा मौके के अनुसार 02 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर वादी की खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉक **15.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 17/01/2019
नोट :- खसरा सं. 157 रकबा 0.01 है० राज रिकार्ड में दर्ज हो।
खसरा नं 156 व 157 के पूर्व में स्थित खसरा संख्या 158 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म गै० मु० रास्ता में से 0.08 हैक्टेयर कम कर खसरा संख्या 156 रकबा 0.27 हैक्टेयर के स्थान पर 0.35 हैक्टेयर दर्ज हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **344/2017** दायर दिनाँक **07.12.2017**

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती गौरादेवी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राजस्थान		1. वाहिद खां पुत्र आलम खां 2. नियाज खां पुत्र कासम खां 3. हिदायत खां पुत्र कासम खां 4. भंवरी बानों पुत्री कासम खां 5. रजिया बानों पुत्री कासम खां 6. आनोप बानों पत्नी कासम खां 7. सोहिल खां पुत्र मुस्ताक खां नाबांलिक जरिये वलिया समीर बानों पत्नी मुश्ताक खां 8. इकबाल पुत्र मोहन खां 9. कायूम पुत्र मोहन खां 10. मेहबुब खां पुत्र मोहन खां 11. आसमा बानों पुत्री मोहन खां 12. मुमताज बानों पत्नी मोहन खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण खारिया तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राजस्थान 13. श्रीमान जिला कलक्टर, नागौर 14. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **15.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह, वकील, वादी व श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद ग्राम खारिया के खसरा संख्या 156 व 157 के सम्पूर्ण रकबे में पूर्वी तरफ की 10 बिस्वा भूमि को शामिल करते हुऐ उक्त दोनों खसरान का रकबा मौके के अनुसार 02 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर वादी की खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत.......... ....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 17/1/2019

खसरा सं. 157 रकबा 0.06 है० राज रि० में दर्ज हो।

नोट:- खसरा सं 156 व 157 के शर्त में स्थित खसरा संख्या 158 रकबा 0.19 हैक्टर किता और मु० रास्ता में से 0.08 हैक्टर कम कर खसरा संख्या 15[illegible] (156) रकबा 0.27 हैक्टर के स्थान पर 0.35 हैक्टर दर्ज हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner